

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये  
विलम्ब का कारण।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन/राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ  
मुख्यमंत्री



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020

फाल्गुन 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 271/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(97)-2020

लखनऊ, 28 फरवरी, 2020

### अधिसूचना

प०आ०-91

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-836/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(06)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में,

(क) अनुसूची II- 6% में, क्रम सं० 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

(ख) अनुसूची IV- 14% में, क्रम सं० 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम-सं० और प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

### सारिणी

"228	कोई भी अध्याय	लॉटरी	14%"
------	---------------	-------	------

2-यह अधिसूचना दिनांक 1 मार्च, 2020 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 271/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(97)-2020, dated February 28, 2020 :

No. 271/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(97)-2020

*Dated Lucknow, February 28, 2020*

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. KA.NI.-2-836/XI-9(47)/ 17- U.P. Act-1-2017-Order- (06) -2017 Dated: June 30, 2017, namely:-

#### AMENDMENT

In the said notification, -

- (a) in Schedule II - 6%, S. No. 242 and the entries relating thereto shall be *Omitted*;  
 (b) in Schedule IV -14%, S. No. 228 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be *substituted*, namely: -

#### SCHEDULE

"228.	Any Chapter	Lottery	14%"
-------	-------------	---------	------

2. This notification shall be come into force on the 1<sup>st</sup> day of March, 2020.

By order,  
 ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*